सं.24/245/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 2 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री रजनीश,
पुत्र- श्री सुरेश कुमार,
बी-111, पांडव नगर,
मदर डेयरी के सामने,
दिल्ली- 110092

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक शून्य जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 16.06.2014 को आवेदन पत्र के बिन्दु 3 एवं बिन्दु 8 में सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपके द्वारा उक्त बिन्दुओं में वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि भारत के राज्य संप्रतीक का डिजाइन भारत सरकार द्वारा 1947 में स्वीकृत किया गया था और सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा आदर्श वाक्य " सत्यमेव जयते " बाद में 1949 में भारत के राज्य संप्रतीक के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया था । एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा Crown को 26 जनवरी, 1950 से भारत के राज्य संप्रतीक द्वारा विस्थापित कर दिया गया था। भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007 {भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम 2010 के साथ पठनीय} द्वारा विनियमित होता है, जो कि इस मंत्रालय के वेवसाइट "www.mha.nic.in" पर जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध है।

2. भारत के राज्य संप्रतीक का विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची-I, अनुसूची II तथा अनुसूची-III में विर्निदिष्ट कार्यालयों, पाधिकारियों एंव प्रयोजनों तक निर्बंधित है। भारत के राज्य संप्रतीक का शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामाग्री पर प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची-I में विर्निदिष्ट कार्यालयों एवं प्राधिकारियों तक निर्बंधित है। उक्त नियम के अनुसूची III [नियम 9 के साथ पठनीय], क्रम सं0 (i) के अनुसार " विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड (विजिटिंग कार्ड) पर भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है "। उक्त नियम के अनुसूची III [नियम 9 के साथ पठनीय], क्रम सं0 (VIII) के अनुसार सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र पर भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है । अनुसूची-I के प्रयोजन के लिए " अधिकारी " पद से कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है।

3. भारत का राज्य संप्रतीक का अनुचित प्रयोग उक्त अधिनियम की धारा 7 (धारा 3 एवं 4 के साथ पठनीय) के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग से संबंधित शिकायत कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम पुलिस थाने में कर सकता है और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन शाखा उक्त अधिनियम तथा नियम के अनुबंधों के अनुसार कार्यवाही करती है।

4. भारत के राज्य संप्रतीक के स्वीकार किए जाने से संबंधित दस्तावेज एवं उक्त वर्णित अधिनियम तथा नियम कुल 15 पृष्ठ के हैं, यदि आप इनकी प्रति प्राप्त करना चाहता है तो आपके द्वारा सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल ₹ 30/- (प्रति पृष्ठ ₹ 2/- की दर से) नकद भुगतान या बैंकर बैंक/डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जो कि "लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय" के पक्ष में देय हो, इस मंत्रालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है ताकि आपको उक्त दस्तावेज़ों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा सके ।

5. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रति, उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक शून्य की एक प्रति के साथः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को इस मंत्रालय के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

5-1/B/RTI/MHA/2014
2/6/14

सेवा में,

जन-सूचना अधिकारी
जन सूचना विभाग
गृह मन्त्रालय भारत सरकार
साउथ ब्लाक नई दिल्ली।

21 MAY 2014

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित की सूचना राजभाषा हिन्दी मे यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।

(1) भारत मे पुलिस प्रशासन द्वारा अपने (Logo) मे लाल व नील रंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि अधिकार ~~Red Belt~~ के रूप मे प्रदर्शित किया जाता है, कानून व गृह मन्त्रालय द्वारा अधिकृत, मान्यता प्राप्त है, पुलिस द्वारा प्रयोग लाल व नीले रंग की Logo का अधिकारित प्रयोग कब से किया जा रहा है व इसके प्रयोग का स्पष्ट उल्लेख सरकार द्वारा सरकारी गजट मे किया गया था। की पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये।

(2) सम्पूर्ण भारत मे पुलिस प्रशासन जिसमे CBI, - CID - अर्द्ध सैनिक बल द्वारा प्रयोग किया जा रहे Logo का पूर्ण विवरण सूचना स्वरूप उपलब्ध कराये।

(3) अशोक ~~चक्र~~ स्तम्भ एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, की स्थापना कब हुई, व इसका प्रयोग कहा-2 होता है, तथा अशोक स्तम्भ का प्रयोग अपने - विजिटिंग कार्ड, लेटर हैड, व आई० डी० कार्ड पर, किस स्तर का अधिकारी व सांसद / मन्त्री कर सकते है, प्रयोग से सम्बन्धित नियम व दिशा-निर्देश सूचना स्वरूप उपलब्ध कराये।

(4) सरकारी विभागो, मन्त्रालय, निकाय द्वारा अपने-2 कार्य अनुसार Logo है तथा सूचना दे की Logo पंजीकरण, व अधिकृत सूचना पत्र सूचना स्वरूप उपलब्ध कराये।

पृष्ठ-2 से जारी

P.T.O.

Dir(ADV)

Reply + logo's enclosed

Dir(ADV)

Blue coloured

①

(4)

...नक Logo का अवैध कर सूचना उपलब्ध कराये की सवैधानिक ...यप्राप्ति (Logo) किस मंत्रालय, विभाग अथवा प्रशासन द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, व इस Logo की प्रमाणिकता भी सूचना स्वरूप विधि रचत: उपलब्ध कराये।

) लोक सभा सचिवालय मे चार (4) मारूती जिप्सी है, जिन पर लाल रंग से पुलिस लिखा है, व लाल/नीली बडी फलेसर लाईट (पी०सी०आर०) की भांति लगी है, व साईरन के साथ-2, वायरलेस सेट भी लगे है- जिसको देखते ही पुलिस वाहन प्रतीत होता है यह सब खुलेआम गृहमंत्रालय व दिल्ली पुलिस की आँख के नीचे हो रहा हैं। जिसकी कभी भी जांच की जा सकती है, कृप्या सूचना उपलब्ध कराये की प्रार्थी की सूचना पर संज्ञान लेकर, विधि अनुसार कानुन की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये।

(7) दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपी की जमा-तलाशी व उसके परिसर की तलाशी के वक्त, जनता का स्वतन्त्र गवाह होना विधि अनुसार आवश्यक हैं व स्वतन्त्र गवाह के बिना परिसर की तलाशी की वैधता की सूचना पूर्ण विवरण सहित उपलब्ध कराये।

(8) भारत सरकार के मन्त्रालयो मे मन्त्री के निजी-सहायको द्वारा व संसद भवन के वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारी (एम्बोस) उभरा हुआ, गोल्डन अशोक स्तम्भ अपने विजीटिंग कार्ड पर इस्तमाल कर रहे है, कृप्या सूचना उपलब्ध कराये की इस प्रकार का लोगो का प्रयोग किस स्तर का अधिकारी कर सकता हैं, व अवैध रूप से प्रयोग करने पर कानून अनुसार धारा (Act) लागू होता है, की सूचना उपलब्ध कराये।

9) दिल्ली सरकार/भारत सरकार के न्यायालयो मे पदस्थ ~~प्रेस~~ सभी एम०/एम० (जज) की कारो पर सिल्वर रंग के स्टिकर पर काला अशोक स्थम्भ व उसके निचे बडे अक्षरो मे जज लिखा होता है, कृप्या सूचना उपलब्ध कराये की उपरोक्त MM व जज शब्द स्टिकरो का प्रयोग संवैधानिक रूप से कर सकते है, पूर्ण नियमअनुसार सूचना उपलब्ध कराये। P.T.O